# समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल,
# (कैम्प–भोपाल), ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण कमांकः–....................../2013–14

R-3030-PBR/14

1. **श्रीमती वन्दना देवी पंजवानी** आयु–[illegible] वर्ष,
   पत्नी श्री रमेश कुमार पंजवानी
2. **श्री रमेश कुमार पंजवानी** आयु–51 वर्ष,
   आत्मज स्व. श्री जे. डी. पंजवानी
   दोनों निवासी–29, नूपुर कुंज परिसर,
   अरेरा कॉलोनी, भोपाल(म.प्र.)

..................... निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

**श्रीमती कमला देवी पंजवानी** आयु–65 वर्ष,
पत्नी स्व. श्री जे. डी. पंजवानी
निवासी–29, नूपुर कुंज परिसर,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल(म.प्र.)

............................... उत्तरदाता

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959.

माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(शहर) तहसील–हुजूर, गोविंदपुरा वृत्त, भोपाल जिला–भोपाल(म.प्र.) द्वारा उनके समक्ष लंबित प्रकरण कमांक 357/बी–121/2013–2014 श्रीमती कमला देवी पंजवानी विरूद्ध श्रीमती वंदना देवी पंजवानी व एक अन्य मे पारित आदेश दिनांकित 08.08.2014 से व्यथित एवं दुखी होकर निगरानीकर्ता/अनावेदकगणों द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3030-पीबीआर/14 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30-1-2019 | आवेदक की ओर से श्री रमेश कुमार पंजवानी, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन 5896/2018/भोपाल/भू.रा. में पारित आदेश दिनांक 30-1-2019 के तारतम्य यह प्रकरण सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन सशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदिका को सूचना दिया जाये ।<br>अध्यक्ष | |